



बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या 4 (न) गठ-16/2009 - 6256 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नांकित अनुसूची 'क' के अंतर्गत पड़ने वाले मुंगेर जिला की अनुसूची में यथा वर्णित चौहददी के अंतर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-3997 दिनांक-15.07.2011 के द्वारा पूर्व प्रकाशित है तथा जिसके संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है, नगर निगम का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों पर लागू करते हैं:-

अनुसूची 'क'

1. (क) ग्राम पंचायतों, ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

ग्राम पंचायत/नगर निकास	ग्राम का नाम	थाना सं०
(i) नगर परिषद, मुंगेर	विद्यमान नगर परिषद मुंगेर का संपूर्ण क्षेत्र।	
(ख) चौहददी		
	उत्तर- गंगा नदी	
	दक्षिण-इसनगंज, सफीयाबाद बाईपास (एन०एच०-80)	
	पूरब-सुजाबलपुर,	164
	नवादा	158
	महुली	151
	पश्चिम-गंगा नदी।	

इस क्षेत्र को मुंगेर नगर निगम, मुंगेर कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अरविन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-4 (न) गठ-16/2009 6256 /न०वि०एवं.आ०वि०

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-4 (न) गठ-16/2009 6256 /न०वि०एवं.आ०वि०

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नगर विकास एवं आवास विभाग

